


जिला-करौली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पंदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

संक्र.	मु.नं. 47/24. T. I. फर्द अहकाम खियाताम V/s काट्टू वरें
19/2/26	<p>पत्रावली पेश हुई प्राची वकिल वद प्राची कोई उपस्थित नहीं बारबार-2 आज्ञा लगाई गई इसके बावजूद कोई उपस्थित नहीं इसलिए प्राची का प्राचीता पत्र अस्चाई निषेधाज्ञा धारा 212 अदम पैरवी अदम हाजिरी में श्वरिज किया जाता है</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार दोकर नम्बर से कम कर चारिबल दफ्तरों हो।</p>
	<p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी एवं पंदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम, जिला-करौली </p>